प्रेस विज्ञप्ति
15.10.2026

बेंगलुरु की विशेष अदालत द्वारा आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी और उनकी पुत्री को पीएमएलए के तहत दोषी ठहराया गया; पाँच संपत्तियों को जब्त करने का आदेश। अदालत ने बचाव पक्ष के एक गवाह के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में मामला दर्ज करने का भी निर्देश दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने सेवानिवृत्त आबकारी रक्षक/प्रभारी उप-निरीक्षक **एम. रामचंद्र** (अभियुक्त संख्या 1) तथा उनकी पुत्री **आर. युरेखा** (अभियुक्त संख्या 2) को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध, जो धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय है, के लिए दोषी ठहराए जाने में सफलता प्राप्त की है। यह मामला विशेष वाद संख्या 357/2016 तथा ईडी ईसीआईआर संख्या 07/बीजीजेडओ/2009 से संबंधित है। दोषसिद्धि का आदेश 14 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु स्थित 47वें अतिरिक्त नगर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश तथा सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश (सीसीएच-48) के न्यायालय द्वारा सुनाया गया। निर्णय का विवरण निम्नानुसार है:

दंड एवं संपत्ति की जब्ती

विवरण	**अभियुक्त संख्या 1 (एम. रामचंद्र)**	**अभियुक्त संख्या 2 (आर. युरेखा)**
सश्रम कारावास	5 वर्ष	3 वर्ष
जुर्माना	₹5 लाख	₹3 लाख
जुर्माना अदा न करने की स्थिति में	2 वर्ष का साधारण कारावास	1 वर्ष का साधारण कारावास

अदालत ने पीएमएलए की धारा 8(5) के अंतर्गत पाँच अचल संपत्तियों को केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि यह अपराध व्यापक रूप से समाज के विरुद्ध है और इस संबंध में कोई अलग से प्रतिकार देने का आदेश पारित नहीं किया।

मामले के तथ्य:

यह मामला कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(e) को धारा 13(2) के साथ पढ़ते हुए, 7 जुलाई 2009 को दर्ज प्राथमिकी संख्या 16/2009 से संबंधित है। ईडी ने 26 अक्टूबर 2009 को ईसीआईआर संख्या 07/बीजीजेडओ/2009 दर्ज की। लोकायुक्त द्वारा दाखिल आरोपपत्र में जाँच की अवधि **1 जुलाई 1977 से 8 जुलाई 2009** तक निर्धारित की गई थी। ईडी ने 23.03.2016 के अनंतिम कुर्की आदेश संख्या 07/2016 के माध्यम से **₹1,09,39,539** मूल्य की आठ संपत्तियों को कुर्क किया तथा जून 2016 में अभियोजन शिकायत दाखिल की।

मूल अपराध से संबंधित मामले (विशेष वाद संख्या 55/2020, दिनांक 8 नवंबर 2024 का निर्णय) में अभियुक्त संख्या 1 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(e) के तहत दोषी ठहराया गया था और ₹50 लाख के जुर्माने के साथ तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। विचारण न्यायालय ने उनकी आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में **₹42,48,188.50 की अनुपातहीन संपत्ति, जो ज्ञात आय का 97.75% थी**, निर्धारित की थी।

जाँच में स्थापित अपराध की कार्यप्रणाली:

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से समर्थित ईडी की जाँच में निम्नलिखित कार्यप्रणाली सामने आई।

अपराध की आय का सृजन, छिपाना और रूपांतरण



न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष:

दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध संदेह से परे सिद्ध। पीएमएलए की धारा 3 और 4 के अंतर्गत दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाया गया।

धारा 24 के अंतर्गत उपधारणा लागू। अभियुक्त इसे खंडित करने में विफल रहे। उनके इस स्पष्टीकरण के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कि विजयनगर में निर्माण के लिए उनकी माता ने धन उपलब्ध कराया था तथा स्थलों को शारदा ने खरीदा था।

मूल अपराध के निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है। *विजय मदनलाल चौधरी* मामले का अनुसरण करते हुए, न्यायालय ने विशेष वाद संख्या 55/2020 (प्रदर्श पी47) के निर्णय पर भरोसा किया तथा उल्लेख किया कि बचाव पक्ष ने स्वयं उसके निष्कर्षों को स्वीकार किया था।

दूषित धन को अलग करना या उसकी मात्रा निर्धारित करना आवश्यक नहीं। न्यायालय ने माना कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में संपत्तियों का आपस में मिश्रित होना महत्त्वपूर्ण नहीं है। अपराध की आय की सटीक मात्रा निर्धारित करना भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले में अनुपातहीन आय ही अपराध की आय होती है।

धन शोधन एक सतत अपराध है। यह तब तक जारी रहता है, जब तक अपराध की आय का कब्जा बनाए रखा जाता है या उसे बेदाग संपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए पीएमएलए के लागू होने से पूर्व किए गए कृत्यों से आरोप निष्प्रभावी नहीं हुआ।

अभियुक्त संख्या 2 की जानबूझकर सहभागिता के लिए दायित्व। न्यायालय ने माना कि उसने अपराध की आय से खरीदी गई संपत्ति को अपने नाम पर रखने में जानबूझकर सहायता की थी।

दंड निर्धारण। न्यायालय ने इस अपराध को व्यापक सामाजिक प्रभाव वाला एक आर्थिक अपराध माना। दंड निर्धारित करते समय अभियुक्त संख्या 1 की आयु (लगभग 72 वर्ष) तथा अभियुक्त संख्या 2 की पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया। मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 1 को 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹5 लाख के जुर्माने और अभियुक्त संख्या 2 को 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹3 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई।

बचाव पक्ष के गवाह के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य का मामला दर्ज करने का निर्देश

ईडी के आवेदन पर 14.10.2026 को पारित एक पृथक आदेश में, न्यायालय ने पाया कि बचाव पक्ष के गवाह संख्या 1, एम. जयराम (एच. मयन्ना गौड़ा के पुत्र) ने मुख्य परीक्षा के दौरान यह झूठा बयान दिया था कि वह अभियुक्त संख्या 1 को नहीं जानता। प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने पारिवारिक संबंध स्वीकार किया और माना कि उसका पूर्व कथन झूठा था। *जेम्स कुंजवाल बनाम उत्तराखंड राज्य* (2024 आईएनएससी 601) मामले में निर्धारित पाँच दिशा-निर्देशों को लागू करते हुए, न्यायालय ने माना कि प्रथमदृष्टया आगे की कार्यवाही करने का आधार मौजूद है। न्यायालय ने नगर सिविल न्यायालय के रजिस्ट्रार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि उक्त गवाह ने मूल अपराध से संबंधित मामले में भी गवाही दी थी।

अन्य मामलों पर प्रभाव

- **आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषसिद्धि के बाद पीएमएलए के तहत अभियोजन का स्पष्ट मार्ग।** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(e) के अंतर्गत दोषसिद्धि पीएमएलए के तहत विचारण का आधार बन सकती है, जिसमें धारा 24 के तहत साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार अभियुक्त पर होता है।
- **दूषित संपत्तियों को अपने पास रखने या उनका लाभ उठाने वाले परिवार के सदस्य भी अभियोजन के दायरे में आ सकते हैं,** भले ही उन्हें मूल अपराध के मामले में अभियुक्त न बनाया गया हो।
- **वर्ष 2005 से पूर्व का आचरण बचाव का आधार नहीं है,** यदि अपराध की आय का कब्जा आगे भी बनाए रखा जाता है या उसे बेदाग संपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
- **झूठी गवाही देने वाले बचाव पक्ष के गवाहों को भी परिणाम भुगतने होंगे।** मिथ्या साक्ष्य के संबंध में दिए गए निर्देश से स्पष्ट होता है कि पारिवारिक संबंधों और धन के स्रोत के संबंध में टालमटोल करने वाले या झूठे बयान देने पर अलग से अभियोजन चलाया जा सकता है।